समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक............... /गो0

17/10/13

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा /उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा, दिनांक...................

विषय : **विभिन्न परीक्षाओं के अवसर पर मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज स्थित फोटोस्टेट /सायबर कैफे संचालक द्वारा नकल कार्य में संलिप्त रहने वालों पर कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज में पूर्व कि वर्षो में महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अवसर पर फोटोस्टेट /सायबर कैफे संचालक द्वारा नकल कार्य में संलिप्त पाये गये थे। सम्प्रत्ति मुख्य-मुख्य परीक्षा यथा- इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज स्थित फोटोस्टेट दुकान को परीक्षा अवधि के लिए बंद करवाया जाता है।

अतः आगामी परीक्षा में कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज स्थित फोटो स्टेट /सायबर कैफे संचालकों के विरूद्ध निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है :-

1-मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज स्थित जितने भी फोटोस्टेट /सायबर कैफे संचालक हैं, उनका चरित्र सत्यापन करवा लिया जाए और जिनका चरित्र खासकर पूर्व के परीक्षा के अवसर पर प्रश्न पत्र का फोटो कॉपी, उत्तर का फोटो कॉपी एवं एडमिट कार्ड का Morphing करते हुए रंगे हाथ पकड़ाये हैं, उनलोगों पर विशेष नजर रखी जाए।

2-मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज स्थित जितने भी फोटोस्टेट /सायबर कैफे संचालक हैं, उनके द्वारा आगामी परीक्षा में किसी प्रकार की जालसाजी और परीक्षा में किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं कर सके, इसके निमित्त सभी संचालकों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के अन्तर्गत Bound-Down की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3-परीक्षा के अवसर पर बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं, जो परीक्षा में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे तत्वों की पहचान कर उनसबों के विरूद्ध भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के अन्तर्गत Bound-Down की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4-ऐसे सभी फोटोस्टेट /साइबर कैफे संचालकों की फोटो एवं पूर्ण पता सहित सूची जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को भेजते हुए अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी प्रति जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को देंगे।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2380 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 15/10/2013

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

D/Khalid/2013/Gop./Operator-2-DM-/Madhepura/Letter